न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी जिला नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र संख्या 66 / 2024 GCMS NO. 2024/147 उनवानी रघुवीर सिंह बनाम राजस्थान सरकार अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 बाबत नाम दुरूस्ती	

06.11.2024

अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली रिकार्ड से तलब होकर आज पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित आये। अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी ने हस्तगत प्रार्थना पत्र के जरिये मुख्य अनुतोष यह चाहा है कि वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2076–2079 के हाल खाता संख्या 86 के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 470, 471, 472, 473, 478, 479, 480, 481, 482, 582 कुल किता 10 कुल रकबा 10.81 हेक्टेयर में प्रार्थी के पिता का नाम मदनसिंह पुत्र गुलाब सिंह के स्थान पर मदनसिंह पुत्र ज्वालसिंह दर्ज किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् एवं तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि राजस्व ग्राम बड़ाऊ की नकल जमाबन्दी संवत 2029 के खसरा नम्बर 293, 294 में व संवत 2013 के खाता संख्या 18 के खसरा नम्बर 293 व 294 में प्रार्थी के दादा का नाम ज्वालसिंह पुत्र रामूसिंह दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के दादा ज्वालसिंह के फौत होने के बाद नकल जमाबन्दी संवत 2033–2036 के खाता संख्या 353 के खसरा नम्बर 293 व 294 में प्रार्थी के पिता का नाम मदन सिंह पुत्र ज्वालसिंह दर्ज रिकार्ड हुआ है, जिसे मिसल हैकियत संवत 2043 के खाता संख्या 566 में मदनसिंह पुत्र गुलाबसिंह गलत दर्ज कर दिया गया जो वर्तमान राजस्व ग्राम श्रीकृष्णनगर में भी बदस्तुर दर्ज चला आ रहा है।

तहरीर 352 08.11.24

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2024/2475 दिनांक 16.07.2024 में की गई अनुशंषा के आधार पर प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हाल राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने योग्य है। लिहाजा

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व ग्राम श्रीकृष्णनगर पटवार हल्का बडाऊ की हाल जमाबन्दी संवत 2076–2079 के हाल खाता संख्या 86 में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि **मदनसिंह पुत्र गुलाबसिंह** के स्थान पर **मदन सिंह पुत्र ज्वाल सिंह** शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) खेतडी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। रहन यदि कोई हो, तो रहन मुक्त होने पर ही आदेश का अमल हो। उक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार (भू0अ0) खेतडी को आदेश [illegible] तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बंशी धर योगी)
उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला- नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Banshi Dhar
Date: 2024.12.09 17:09:07 IST
Reason: SelfAttested